

न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक  
(चिन्मयी गोपाल आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

312/2013

01.03.2013

प्रकरण संख्या  
दृष्टि दिनांक

- 1-मुकेश कुमार पुत्र स्व.सत्यनारायण जाति महाजन निवासी बडा कुआ मोती बाग रोड टोंक तहसील व जिला टोंक
- 2-श्रीमति अनीला पत्नि सुरेन्द्र कुमार जाति महाजन निवासी बडा तख्ता टोंक तहसील व जिला टोंक
- 3-जैद मिर्जा कासमी पुत्र नसीरउद्दीन बैग जाति मुसलमान निवासी सब्जी मण्डी काफला टोक
- 4-जमीर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद रफीक जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला बटवालान टोंक

..... प्रार्थीगण

बनाम

- 1-सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
- 2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं० 12 टोंक
- 3-तहसीलदार टोंक जिला टोंक राज०

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956  
उपस्थित (1) श्री बसंत कुमार जैन,अभिभाषक प्रार्थीगण  
(2) श्री अभिषेक शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2

निर्णय

दिनांक 14.08.2023

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम मेहगांव तहसील टोंक की भूमि ख०नं० 500/3 मे से 379 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थीगण व्यवसायिक भूमि की दर से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवार्ड 763/2009 दिनांक 20.12.2010 को निरस्त कर व्यवसायिक भूमि की दर से मुआवजा दिलवाया जावे।



आरबीट्रेटर N.H.-12  
(जिला कलेक्टर)

763 / 2009 प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली दिनांक 20.12.2010 तलब की गई एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0न0 500/3 में से कुल रकबा 379 वर्गमीटर वाके ग्राम मेहगांव में अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकलन सब रजिस्टर द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी-1 राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। प्रार्थीगण व्यवसायिक भूमि का मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2 सुनी। जवाब/बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 500/3 में से 379 वर्गमीटर, किस्म जमीन बारानी-1 वाके ग्राम मेहगांव का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा व्यवसायिक दर से चाहा गया है, परन्तु उनके द्वारा इसकी तायद में संपरिवर्तन आदेश/साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(चिन्मयी गोपाल)  
आरबी.डी.ए.सी. 12  
(जिला कलेक्टर)  
(द्वारा रा.व.)